भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 448 का उत्तर

रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

***448. श्री राजेश वर्मा:**
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे द्वारा अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा माल ढुलाई से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की रेलवे के माल ढुलाई राजस्व को बढ़ाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उद्योगों को उनके माल की सड़क से ढुलाई कराए जाने के स्थान पर रेल से ढुलाई कराने के उद्देश्य से कोई प्रोत्साहन देने शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 448 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): भारतीय रेल के पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कुल राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	कुल राजस्व (करोड़ रु. में)
2021-22 (कोविड वर्ष)	1,91,278
2022-23	2,40,137
2023-24	2,55,366

वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान कुल राजस्व 2,38,310 करोड़ रु. है, जिसमें मालभाड़ा से 1,54,835 करोड़ रु. शामिल हैं।

मालभाड़ा राजस्व बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल द्वारा रेलों में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य प्रयोजन माल डिब्बा निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस), उदारीकृत विशेष मालगाड़ी परिचालक (एलएसएफटीओ) योजना और ऑटोमोबाइल मालगाड़ी परिचालक (एएफटीओ) योजना जैसी बहुआयामी पहलों को शुरू किया जा रहा है। वर्ष 2021 में रेल कार्गो की सम्हलाई के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 'गति शक्ति मल्टी-मोडाल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है।

अभी तक, इस नीति के कार्यान्वयन के पश्चात 97 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन किए गए हैं, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता 149 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) है।

उपरोक्त के अतिरिक्त रेलवे ग्राहकों को कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिनमें टाइलों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के बाद मूल क्लस्टर में लौटने वाले खाली कंटेनर लदे रेकों के ढुलाई प्रभार में 50% की छूट देना, खाली प्रवाह दिशा में जाने वाले यातायात के लिए उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा छूट योजना, खुले और फ्लैट माल डिब्बों में बैग वाले परेषणों के लदान पर छूट, 90 किलोमीटर तक के माल परिवहन के लिए कम गमन दूरी की रियायत (कोयला और कोक, लौह अयस्क, सैन्य यातायात और कंटेनर यातायात को छोड़कर), ऑटोमोबाइल यातायात के लिए मालभाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं। माल ढुलाई यातायात से आमदनी बढ़ाने के उपाय करना सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

वित्त वर्ष 2020-21 से भारतीय रेल द्वारा वहन किए गए माल का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	माल लदान (मिलियन टन में)
2020-21 (कोविड वर्ष)	1233
2021-22 (कोविड वर्ष)	1418
2022-23	1512
2023-24	1591
2024-25	1617

वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेल द्वारा 1600 एमटी से अधिक माल यातायात का परिवहन किया जा चुका है, परिणामस्वरूप यह विश्व की शीर्ष 3 माल ढुलाई रेलों में से एक है।

*****